न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी- श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या- 902 / 2020

प्रार्थी:- सत्यनारायण डागा पुत्र श्री रामनारायण डागा, जाति माहेश्वरी डागा, निवासी खारड़ा मेवासा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:- श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा

अप्रार्थी की ओर से- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:निर्णय:-

दिनांक 2/12/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि- प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 86 बीघा 03 बिस्वा, मौजा ग्राम खारड़ा मेवासा, तहसील ओसियां में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि. रामनारायणदर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम सत्यनारायण है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भंवरलाल दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में सत्यनारायण दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई है। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है यह है कि राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी को अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने केसीसी लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 86 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम खारड़ा मेवासा तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि. रामनारायण के स्थान पर सत्यनारायण पि. रामनारायण दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र श्री रामनारायण है।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सत्यनारायण पुत्र श्री रामनारायण है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 86 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम खारड़ा मेवासा तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि. रामनारायण के स्थान पर वास्तविक नाम सत्यनारायण पि. रामनारायण दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[redacted]
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/12/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

[redacted]
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया